

**मूल वाद में डिक्री**

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.

फिरोज

उनवान

बनाम

राजस्थान सरकार

दावा बाबत नाम डरुस्ती U/S 88 R.T.A.

मुकदमा नम्बर :- 134/2021

निर्णय दिनांक :- 01-12-2021

वादी की ओर से स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01-12-21 को श्री राहुल सैनी आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - दावा कठोर स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खाता सं. 136 रोटी ग्राम खण्डा पट्टा में अंकित खाते पर जाकर डरुस्ती के स्थान पर फिरोज उत्र इब्राहिम अंकित करने का आदेश दिया जाता है। भविष्य में उक्त नाम के सम्बन्ध में कोई विवाद होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी वादी की रहेगी। तबसीलदार, चूरु उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 01-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



दिनांक 01-12-21  
( राहुल सैनी )  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चूरु

**वाद के खर्चे**

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. ....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	



1809

1-12-21